

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/ 11 / 2023 / प्रा.पत्र / 17-3-25 / 1646

दिनांक : 17.03.2025
18

प्रेषित :-

क्षेत्रीय निबंधक महोदय

राजस्व मण्डल, राजस्थान

अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या 11/2023 अनवान प्रलम्बेकी आदि

बनाम E.O. व अन्य अन्तर्गत धारा 212(2) RTA

निर्णय दिनांक 06.11.2024 भिजवाने हेतु।
(निर्णय प्रा.पत्र 07-RTA CPC निस्त करने)

प्रसंग :- आपका पत्रांक सीए बिग | 2025 / 1175 / गंगागढ़ | 00/04/2025 / 2254

दिनांक 25.02.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 11/2023

अनवान प्रलम्बेकी आदि बनाम E.O. व अन्य

अन्तर्गत धारा 212(2) RTA निर्णय दिनांक 06.11.2024 (निर्णय प्रा.पत्र 07-RTA CPC

कुल पृष्ठ 29 इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। निस्त करने)

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

19/03/25

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़



क्रमांक: टीए/निग/2025/1175/गंगानगर/08/04/2025

दिनांक: 25/02/2025

प्रेषित:

2254

125 FEB 2025



उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला -गंगानगर

नगर पालिका, सूरतगढ़

बनाम

पूनम देवी

निगरानी/अपील विरुद्ध निर्णय- उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला -गंगानगर

निर्णय दिनांक-06/11/2024 वाद संख्या-2023/11

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विचाराधीन वाद मे आपके न्यायालय की निम्नलिखित पत्रावलियां मण्डल में नियत दिनांक 08/04/2025 से पूर्व भिजवाने कि व्यवस्था करें:-

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	अधीनस्थ न्यायालय	उनवान	निर्णय दिनांक
1	2023/11	उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला -गंगानगर	पूनम देवी / नगर पालिका, सूरतगढ़	06/11/2024

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर